

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक.....

विषय:- निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-436, दिनांक-26.03.2025 के व्यय की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्यादेश संख्या-436 दिनांक-26.03.2025 द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भू-अर्जन मद से तत्काल ₹10.00 करोड़ (दस करोड़ रु०) आवंटित किया गया। उक्त राशि की निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई।

2. अतः विभागीय राज्यादेश संख्या-436 दिनांक-26.03.2025 द्वारा आवंटित राशि के व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

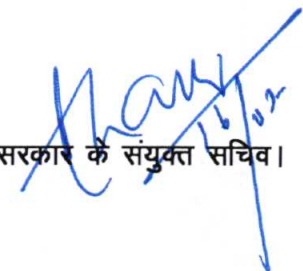
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक:-03/मेट्रो-17-02/2025 7400 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-16-7-20

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० (PMRCL), इंदिरा भवन, 7वाँ तल, पटना स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना मेट्रो अनुस्क्षण एवं रख-रखाव, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRCL)/सचिव के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2(बजट), 03 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/विभागीय आईटी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।